न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 87 / 2024

1 जमील पुत्र अब्दुल जाति धोबी (मुस्लिम) निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
2 नसीब पुत्र सरवर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 गफूर पुत्र दाउद जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 इलियास पुत्र नानूदीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5 रियाज पुत्र यासीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
6 अयूब पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 शकूर मो. पुत्र मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 बाबुलाल पुत्र मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 बशीर पुत्र मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 मो. सलीम पुत्र मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5 शकील पुत्र मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
6 सबिना पुत्री मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
7 बानो पुत्री मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
8 साहिदा पुत्री मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
9 बानो पुत्री हाजरा पुत्री मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
10 अनवर पुत्र हाजरा पुत्री मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
11 आमीर पुत्र हाजरा पुत्री मो. इस्माइल जाति धोबी निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
12 साबीरा पत्नि रजाक जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
13 असलम पुत्र रजाक जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
14 जियाउदीन पुत्र रजाक जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
15 एजाज पुत्र रजाक जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
16 हमीदबानो पुत्री रजाक जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
17 जाहिदा पुत्री रजाक जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
18 मंजू पुत्री रजाक जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
19 हसीना बानो पत्नि अकरम जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
20 नूरेन पुत्री अकरम जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
21 मनवर पुत्र आसिया पुत्री सरफूदीन किलानीया बीदासर हाल निवासी पुत्र गुलाबजी सांखला इमाम बाड़ा सरदारशहर
22 फारूक पुत्र आसिया पुत्री सरफूदीन किलानीया बीदासर हाल निवासी पुत्र गुलाबजी सांखला इमाम बाड़ा सरदारशहर

लगातार.........2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

23 खलील पुत्र माफीया पुत्री सरफुदीन किलानीया बीदासर हाल निवासी पुत्र अली मोहम्मद धोबी पुरानी चुंगी नाका के पास डिडवाना जिला डिडवाना कुचामन
24 सलीम पुत्र माफीया पुत्री सरफुदीन किलानीया बीदासर हाल निवासी पुत्र अली मोहम्मद दीन दरवाजा के पास डिडवाना जिला डिडवाना कुचामन
25 सकील पुत्र माफीया पुत्री सरफुदीन किलानीया हाल निवासी पुत्र अली मोहम्मद धोबी पुरानी चुंगी नाका के पास डिडवाना जिला डिडवाना कुचामन
26 युसुफ पुत्र सायरा पुत्री सरफुदीन किलानीया बीदासर हाल निवासी पुत्र फतेह मोहम्मद धोबी बस स्टेण्ड के पास लोसल तह. लोसल जिला सीकर
27 रफीक पुत्र पुत्र सायरा पुत्री सरफुदीन किलानीया बीदासर हाल निवासी पुत्र फतेह मोहम्मद धोबी बस स्टेण्ड के पास लोसल तह. लोसल जिला सीकर
28 आमीन पुत्र अनुदीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
29 मुन्शी पुत्र अनुदीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
30 खलील पुत्र अनुदीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
31 अनवर पुत्र गुलशन पुत्री अनुदीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
32 मुन्नी पत्नि यासीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
33 साबीर पुत्र यासीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
34 समीर पुत्र यासीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
35 शबनम पुत्री यासीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
36 नवाब हूसैन पुत्र मुख्त्यार अली जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
37 मोहम्मद हूसैन पुत्र मुख्त्यार अली जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
38 तायफ हूसैन पुत्र पुत्र मुख्त्यार अली जाति धोबी निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
39 इरफान पुत्र मुख्त्यार अली जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
40 समीम पुत्री मुख्त्यार अली जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
41 नसरीन पुत्री मुख्त्यार अली जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
42 रूकसाना पुत्री मुख्त्यार अली जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
43 महबूब पुत्र नानूदीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
44 अजीज पुत्र नानुदीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
45 उल्फत पुत्री नानुदीन जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
46 खातून पत्नि जाफर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
47 नासिर पुत्र जाफर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
48 इनायत पुत्र जाफर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
49 साहिन पुत्री जाफर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
50 बिलाल पुत्र स्व. आसिफ पुत्र जाफर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सबीना
51 कदीर पुत्र दाउद जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
52 मुस्ताक पुत्र दाउद जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
53 रफीक पुत्र अब्दुल जाति धोबी (मुस्लिम) निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

लगातार......3 पर

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर

54 रमजान पुत्र अब्दुल जाति धोबी (मुस्लिम) निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
55 उस्मान गनी पुत्र अब्दुल जाति धोबी (मुस्लिम) निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
56 शौकत पुत्र अब्दुल जाति धोबी (मुस्लिम) निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
57 न्यामत पुत्री अब्दुल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
58 बुलकेश पुत्री अब्दुल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
59 सकीला पुत्री अब्दुल जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
60 रूस्तम पुत्र सरवर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
61 आसिफ पुत्र सरवर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
62 रूकसाना पुत्री सरवर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
63 सहनाज पुत्री सरवर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
64 नूरजहां पुत्री सरवर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
65 रूबिना पुत्री सरवर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
66 नजराना पुत्री सरवर जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
67 छोटी पत्नि मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
68 लियाकत अली पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
69 कासम पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
70 मुन्ना पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
71 फारूक पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
72 आबिद पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
73 सरफराज पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
74 सलमा बानो पुत्री मोहम्मद हनीफ जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
75 मुन्नी पुत्री करीमन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
76 बुलकेश पुत्री करीमन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
77 गुलाम रसूल पुत्र करीमन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर तह.बीदासर जिला चूरू
78 बिलाल पुत्र करीमन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
79 सकीना पत्नि लालमोहम्मद पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
80 साजिद पुत्र लालमोहम्मद पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
81 सुरैया पुत्री लालमोहम्मद पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
82 साहीन पुत्री लालमोहम्मद पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
83 सबीना पुत्री लालमोहम्मद पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
84 शबनम पुत्री लालमोहम्मद पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
85 सीरीम पुत्री लालमोहम्मद पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
86 नजमा पत्नि मुंशी पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
87 जावेद पुत्र मुंशी पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
88 निसार पुत्र मुंशी पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
89 अख्तर पुत्र मुंशी पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
90 रजिया पुत्री मुंशी पुत्र करीमन पुत्री किताबा धोबी नि. बीदासर जिला चूरू
91 असलम पुत्र सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
92 मो. मुस्लिम शेख पुत्र सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू

लगातार......4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

93 अफजल पुत्र सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
94 जावेद पुत्र सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
95 मदीना पुत्री सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
96 रजिया पुत्री सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
97 जरीना पुत्री सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
98 साहिदा पुत्री सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
99 समीम पुत्री सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
100जहरूनिशा पुत्री सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
101नसीम पुत्री सरीफन पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर जिला चूरू
102असगर पुत्र बशीरन पुत्री किताबा धोबी बीदासर हाल पुत्र दाउद खिलजी पंखा सर्किल चूरू
103मुन्ना पुत्र बशीरन पुत्री किताबा धोबी बीदासर हाल पुत्र दाउद खिलजी पंखा सर्किल चूरू
104मुन्शी पुत्र बशीरन पुत्री किताबा धोबी बीदासर हाल पुत्र दाउद खिलजी पंखा सर्किल चूरू
105जैतून पुत्री किताबा जाति धोबी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
106राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू राज.
107उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88ए 188ए, 53 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1 वादीगण – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 5, 13, 14, 15, 29, 33, 35, 36, 38 से 43, 45, 52, 56, 60, 68, 74 मोहम्मद आमीन शेख
3 प्रतिवादी स. 12, 19, 32, 51, 55 61, 67, 69, 70, 72, 73 श्री अख्तर सोलंकी
4 प्रतिवादी स. 6 ता 11, 16, 17, 18, 21 ता 27, 31, 34, 37, 44, 46 ता 50, 57, 58, 59, 71, 75 ता 105, 107 एक पक्षीय कार्यवाही
5 प्रतिवादी सख्या 106 – पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :-21 / 8/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि पक्षकारान् के पूर्वज दीदारबक्स उर्फ दिलदार के वारिस दो पुत्रगण किताबा व सरफुदीन कुर्सीनामा संलग्न वाद पत्र है पक्षकारान् वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज दिलदार उर्फ दीदारबक्स धोबी थे जिनके दो पुत्र किताबा और सरफुदीन हूए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व. दिलदार एवं उनके दो पुत्र किताबा और सरफुदीन के उतराधिकारी वारिसान है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज दिलदार उर्फ दीदारबक्स तथा उनके दो वारिस किताबा एवं सरफुदीन के वक्त की अग्रलिखित खातेदारी भूमि सम्पतियॉ है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है रोही ग्राम कालेरा की ढ़ाणी में खेत खसरा नम्बर 97 रकबा 5.3115

लगातार....5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

हैक्टेयर (21–00 बीघा) किताबा पुत्र दीदारबक्स हिस्सा 1/2, सरफु पुत्र दीदारबक्स हिस्सा 1/2 तथा खाता नम्बर 244 खसरा नम्बर 1371 रकबा 1.8464 हैक्टेयर (7–06 बीघा) तथा खाता नम्बर 109 खसरा नम्बर 113 रकबा 4.6033 हैक्टेयर (18–04 बीघा), खसरा नम्बर 114 रकबा 4.1607 हैक्टेयर (16–09 बीघा) तथा खेत खाता नम्बर 107 खसरा नम्बर 447 रकबा 2.8581 हैक्टेयर (11–06 बीघा) तथा खेत खाता नम्बर 60 खसरा नम्बर 117 रकबा 3.9583 हैक्टेयर (15–13 बीघा) तथा रोही घंटियाल बड़ी में खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 5.6909 हैक्टेयर (22–10 बीघा) तथा रोही बीदासर में खेत खशरा नम्बर 1708 रकबा 2. 5546 हैक्टेयर (10–02 बीघा), खसरा नम्बर 1709 रकबा 2.4914 हैक्टेयर (9–17 बीघा) तथा रोही दड़ीबा में खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 2. 6558 हैक्टेयर (10–10 बीघा) संयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादगत खसराजात की उपरोक्त भूमि सम्पतियॉ वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज दिलदार उर्फ दीदारबक्स व उनके दो पुत्र सन्तान किताबा व सरफुदीन के वक्त की भूमि सम्पतियां है। वादगत भूमि सम्पतियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज दिलदार उर्फ दीदारबक्स तथा उनके दो पुत्र किताबा, सरफुदीन के वक्त से जुबानी भाई बन्टवारा के मुताबिक हिस्सा पांती किया हुआ है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के वक्त से किये गये हिस्सा पांती अनुसार अपने अपने हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है जिनकी पुख्ता सीवें कायम है जिन्हे बिना किसी उजर आपत्ति काबिज काश्तकार काश्त करते आ रहे है। वादगत खातेदारी भूमि के पूर्वज खातेदार किताबा की पुत्रीयॉ करीमन, सरीफन, बशीरन, जैतून तथा सरफुदीन की पुत्रीयॉ आसिया, माफीया, सायरा वादगत खेतों की खातेदार काबिज काश्तकार नहीं रही है क्योकि उक्त पुत्रीयॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही शादी होकर अपने अपने ससुराल चली गई और वादगत कॉपार्शनरी सम्पतियों की सदस्या नहीं रही थी और उन्होने अपने ससुराल की सम्पतियों में अपना हिस्सा अर्जित कर लिया था तथा खातेदार सरफुदीन के वारिस रजाक का हिस्सा उनके पिता के जीवनकाल में ही हस्तान्तरित किये जाने के कारण तथा सरफुदीन के द्वारा किये गये विभाजन के अनुसार रजाक का वादगत भूमि सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। वादीगण अपने पूर्वज एवं पिता के द्वारा वर्षो पूर्व यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व किये गये हिस्सा पांती अनुसार राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज चली आ रही खातेदारी को दुरूस्त करवा कर वादगत खशराजात की भूमि सम्पतियों का पूर्वजों के वक्त से किये गये हिस्सा पांती अनुसार एवं वर्तमान में खातेदारान् के कब्जा काश्त मुताबिक विभाजन करवाना चाहते है। वादगत खेत खशरो में रोही ग्राम कालेरां की ढ़ाणी का खेत खसरा नम्बर 97 रकबा 5.3115 हैक्टेयर (21–00 बीघा) में से 1/2 हिस्सा दाउद के वारिसान के ब. हि. बराबर हिस्सा पांती में तथा 1/2 हिस्सा अब्दुल के वारिसान के ब. हि. बराबर हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है उक्त खसरा

लगातार....6 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

भूमि में अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है रोही कालेंरा की ढ़ाणी के वादगत खेत खसरा नम्बर 1371 रकबा 1.8464 हैक्टेयर (7–06 बीघा) दाउद के वारिसान के ब. हि. बराबर हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है व वादगत खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 4.6033 हैक्टेयर (18–04 बीघा) अब्दुल के वारिसान के ब. हि. बराबर हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है तथा खसरा नम्बर 114 रकबा 4.1607 हैक्टेयर (16–09 बीघा) दाउद के वारिसान के ब. हि. बराबर हिस्सा पांती में तथा खसरा नम्बर 447 रकबा 2.8581 हैक्टेयर (11–06 बीघा) अब्दुल के वारिसान के ब. हि. बराबर हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है तथा वादगत खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 3. 9583 हैक्टेयर (15–13 बीघा) दाउद के वारिसान के ब. हि. बराबर हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है इसी मुताबिक वर्षो से किये गये हिस्सा पांती अनुसार काबिज काश्त है रोही घंटियाल बड़ी के वादगत खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 5.6909 हैक्टेयर (22–10 बीघा) में से पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि मोहम्मद हनीफ के वारिसान के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में तथा 1/2 हिस्सा भूमि पश्चिमी तरफ की अनुदीन के वारिसान के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है जिनकी पुख्ता पक्की सीवें कायम है तथा वर्षो से काबिज काश्त है बाकी खातेदारान् का उक्त खसरा भूमि में कभी कोई हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त नहीं रहा है रोही बीदासर के खेत खसरा नम्बर 1708 रकबा 2.5546 हैक्टेयर (10–02 बीघा) मो. इस्माइल पुत्र सरफुदीन के वारिसान के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नम्बर 1709 रकबा 2.4914 हैक्टेयर (9–17 बीघा) अनुदीन पुत्र किताबा के वारिस अमीन, खलील, मुंशी के व यासीन के वारिसान के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है उपरोक्त खशराजात की भूमि सम्पतियों में अन्य किसी खातेदार का कभी कोई कब्जा काश्त एवं हिस्सा पांती नहीं रही है रोही दड़ीबा का वादगत खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 2.6558 हैक्टेयर (10–10 बीघा) अनुदीन पुत्र किताबा के वारिस अमीन, खलील, मुंशी के व यासीन के वारिसान के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है। उपरोक्त खशरा भूमि सम्पति में अन्य किसी खातेदार का कभी कोई कब्जा काश्त एवं हिस्सा पांती नहीं रही है रोही बीदासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 1708, 1709 की खातेदारी रेकार्ड में इस्माइल की पुत्री हाजरा और बानो का नाम राजस्व कर्मचारीयों की भूल एवं लिपिकीय त्रुटी से हाजराबानो पुत्री इस्माइल दर्ज है जबकी हाजरा और बानो दो अलग अलग बहनो के नाम है तथा खातेदार शकूर मोहम्मद पुत्र इस्माइल के बजाय शकूर व मो. सलीम के बजाय सलीम अशुद्ध दर्ज है जिसको शुद्ध किया जाना न्यायोचित है उपरोक्त वादगत तमाम खसराजात का वर्तमान खातेदारी रेकार्ड पूर्वजों के वक्त से किये गये विभाजन एवं हिस्सा पांती के विपरीत गलत दर्ज चला आ रहा है जिसको मुताबिक हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त के वादीगण दुरूस्त करवाना चाहते है वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादगत तमाम खसरान की खातेदारी रेकार्ड दुरूस्त करवाने, मुताबिक हिस्सा

लगातार......7 पर

खण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

पांती एवं कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारी दर्ज करवाने का कई बार निवेदन किया, प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे फिर दिनांक 10/11/2024 को प्रतिवावदीगण ने वादगत खेतों की खातेदारी रेकार्ड दुरूस्त करवाने से मना कर दिया और वादीगण को ऐलानिया धमकीया दी की वादगत खेतों की खातेदारी में हमारा या हमारे पिता पूर्वजों का नाम चल रहा है जिसके आधार पर हम विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवा कर बिना कब्जा काश्त के ही वादीगण की हिस्सा भूमि सम्पतियों को विक्रय हस्तान्तरण कर देगे, प्राईवेट व्यक्तियों के या अन्य बैंकों के रहन रख कर जमीनों पर ऋण ले लेगे आदि आदि ऐलानिया धमकीया दी। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दिनांक 10/11/2024 को की गई इन्कारी से एवं वादगत खसराजात की भूमि में दर्ज चली आ रही गलत खातेदारी की आड़ में विक्रय हस्तान्तरण की धमकीयों से वादीगण को वादाधार एवं वाद हैतुक प्राप्त है जमीनो के बाजार भाव बढ़ने के कारण तथा कई खसरे आबादी के नजदीक हो जाने के कारण प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है और प्रतिवादीगण वादगत खेतों में गलत चल रही खातेदारी में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवाकर कब्जा काश्त से भिन्न भूमि खेत को बिना कब्जा काश्त के भूमि माफिया लोगों को हस्तान्तरित करने की कुचेष्ठा में है, वित्तिय संस्थाओं के रहन रख कर लोन करवाने की फिराक में है जिसका प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त नहीं होने के कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं है प्रतिवादीगण भूमाफिया लोगो से साठगांठ रखने वाले बलशाली व्यक्ति है तथा किसी भी वक्त वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में विक्रय हस्तान्तरित कर सकते है तथा वादीगण को बैदखल कर सकते है इस कारण मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जो धारा 80(2) सी. पी. सी. के नोटिस से छूट लेकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस भूमि पर जिन प्रतिवादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है उनके किसी गलत अंकन के आधार पर वादीगण के मालिकाना काबिजाना हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा। दावा आवश्यक प्रकृति का है विवादित खसराजात की भूमि रोही कालेरा की ढ़ाणी, घंटियाल बड़ी, बीदासर, दड़ीबा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज पूर्वज दिलदार उर्फ दीदारबक्स व उनके दो पुत्र सन्तान किताबा व सरफुदीन के वक्त की भूमि सम्पतियां है जिस पर कब्जा काश्त साधिकार पूर्वक चला आ रहा है जिससे मामला प्रथम दृष्टया सारवान है तथा वादीगण को वादाधार प्राप्त है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है प्रतिवादीगण के जबरन बैदखल कर दिये जाने की धमकीया 10 नवम्बर से वादीगण को वाद हैतुक प्राप्त है। दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है वादगत कृषि भूमि रोही कालेरा की ढ़ाणी, घंटियाल बड़ी, बीदासर व दड़ीबा में स्थित है जिसके लिए वाद प्रस्तुत किया जा रहा है अर्जीदावा दोहरी प्रति में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा वादीगण निम्न आशय का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

लगातार.....8 पर

डिक्री पारित फरमायें जाने के आदेश अता फरमावें कि घोषित किया जावें कि रोही कालेरा की ढ़ाणी में स्थित खेत खसरा नम्बर 97 रकबा 5.3115 हैक्टेयर (21–00 बीघा) के राजस्व रेकार्ड का वर्तमान अंकन हटाया जाकर 1/2 हिस्सा में अब्दुल के वारिस वादी सख्या 1 के 1/6 व वादी स. 2 का 1/48 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 53 ता 56 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 60 से 66 प्रत्येक का 1/48 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा में दाउद के वारिसान वादी सख्या 3 के 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स. 51, 52 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 36 ता 42 के 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. व वादी स. 4 के 1/24, प्रतिवादी स. 43, 44, 45 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 46 ता 50 के 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. हिस्सा दर्ज किया जायें तथा खेत खसरा नम्बर 1371 रकबा 1.8464 हैक्टेयर (7–06 बीघा) के राजस्व रेकार्ड का वर्तमान अंकन हटाया जाकर दाउद के वारिसान वादी सख्या 3 के 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स. 51, 52 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 36 ता 42 के 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. व वादी स. 4 के 1/24 हि., प्रतिवादी स. 43, 44, 45 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 46 ता 50 के 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. हिस्सा दर्ज किया जायें तथा खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 4.6033 हैक्टेयर (18–04 बीघा) के वर्तमान राजस्व अंकन को हटाया जाकर अब्दुल के वारिस वादी सख्या 1 के 1/6 व वादी स. 2 का 1/48 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 53 ता 56 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 60 से 66 प्रत्येक का 1/48 हिस्सा दर्ज किया जाये तथा खेत खसरा नम्बर 114 रकबा 4.1607 हैक्टेयर (16–09 बीघा) के वर्तमान अंकन को हटाया जाकर दाउद के वारिसान वादी सख्या 3 के 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स. 51, 52 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 36 ता 42 के 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. व वादी स. 4 के 1/24 हि, प्रतिवादी स. 43, 44, 45 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 46 ता 50 के 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. हिस्सा दर्ज किया जायें तथा खेत खसरा नम्बर 447 रकबा 2.8581 हैक्टेयर (11–06 बीघा) में दर्ज वर्तमान गलत अंकन को हटाया जाकर अब्दुल के वारिस वादी सख्या 1 के 1/6 हि. व वादी स. 2 का 1/48 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 53 ता 56 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 60 से 66 प्रत्येक का 1/48 हिस्सा दर्ज किया जाये, खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 3.9583 हैक्टेयर (15–13 बीघा) के दर्ज गलत अंकन को हटाया जाकर दाउद के वारिसान वादी सख्या 3 के 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स. 51, 52 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 36 ता 42 के 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. व वादी स. 4 के 1/24 हि, प्रतिवादी स. 43, 44, 45 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 46 ता 50 के 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. हिस्सा दर्ज किया जायें तथा रोही ग्राम घंटियालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 5.6909 हैक्टेयर (22–10 बीघा) के वर्तमान अंकन को हटाया जाकर पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि किताबा के पुत्र मोहम्मद हनीफ के वारिसान वादी स. 6 अयूब के 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी स. 67 ता 74 प्रत्येक के 1/9 हिस्सा तथा पश्चिमी तरफ की 1/2 हिस्सा में वादी स. 5 का 1/25 हिस्सा व 28 ता 31 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा का प्रतिवादी स. 32 ता 35 के 4/25 हिस्सा ब. हि. ब. दर्ज किया जाये तथा रोही बीदासर के खेत खसरा नम्बर 1708 रकबा 2.5546 हैक्टेयर (10–02 बीघा) के वर्तमान हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त से विपरीत गलत दर्ज अंकन को हटया जाकर वर्तमान हिस्सा पांती अनुसार प्रतिवादी स. 1 ता 8 प्रत्येक के 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/27 हिस्सा दर्ज किया जाये व खेत खसरा नम्बर 1709 रकबा 2.4914 हैक्टेयर के वर्तमान हिस्सा

लगातार..... 9

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

एवं कब्जा काश्त से विपरीत गलत दर्ज अंकन को हटया जाकर वर्तमान हिस्सा पांती अनुसार अनुदीन पुत्र किताबा के वारिसान वादी स. 5 का 1/25 हिस्सा व 28 ता 31 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी स. 32 ता 35 के 4/25 हिस्सा ब. हि. ब. दर्ज किया जाये तथा रोही दड़ीबा के खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 2.6558 हैक्टेयर (10-10 बीघा) वर्तमान हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त से विपरीत गलत दर्ज अंकन को हटया जाकर वर्तमान हिस्सा पांती अनुसार अनुदीन पुत्र किताबा के वारिसान के दर्ज रहे तथा रोही बीदासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 1708, 1709 की वर्तमान खातेदारी रेकार्ड में इस्माइल की पुत्री हाजरा और बानो का नाम राजस्व कर्मचारीयों की भूल एवं लिपिकीय त्रुटी से हाजराबानो पुत्री इस्माइल दर्ज है जबकी हाजरा और बानो दो अलग अलग बहनो के नाम है तथा खातेदार शकूर मोहम्मद पुत्र इस्माइल के बजाय शकूर व मो. सलीम के बजाय सलीम अशुद्ध दर्ज है खातेदार हाजरा एवं बानो अलग अलग खातेदार दर्ज किये जाये, शकूर पुत्र इस्माईल के स्थान पर शकूर मोहम्मद पुत्र इस्माईल व सलीम के स्थान पर मो. सलीम पुत्र इस्माईल शुद्ध अंकित किया जाये। इस बाबत प्रतिवादी सख्या 106 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाये। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि वादगत खेत खसरो को गलत खातेदारी की आधार पर विक्रय बन्धक हस्तान्तरण नहीं किया जावें तथा प्रतिवादीगण वादीगण को प्रवेश करने, काश्त करने से रौके नहीं ना ही ऐसा कोई कृत्य या फैल करें जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर किसी प्रकार से विपरीत असर पडे, खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण को अता फरमावें आदि आदि अनुतोष चाहा।

उपरोक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तारीख पेशी दिनांक 30.12.2024 को प्रतिवादी सख्या 1 ता 5, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 43, 52, 53, 56, 60 की और से श्री मोहम्मद आमीन शेख द्वारा वकालतनामा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया, तारीख पेशी दिनांक 6.2.2025 को प्रतिवादी सख्या 45, 54, 62 से 66 की और से श्री मोहम्मद आमीन शेख द्वारा वकालतनामा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया, तारीख पेशी 27.2.2025 को प्रतिवादी स. 2, 40, 41, 42, 68, 74 की और से श्री मोहम्मद आमीन शेख द्वारा वकालतनामा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया, पेशी दिनांक 15.4.2025 को प्रतिवादी स. 55, 69, 70, 72, 73, 12, 19, 32, 51, 67 की और से श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी सख्या 55, 69, 70, 72, 73 की और से राजीनामा प्रस्तुत, प्रतिवादी सख्या 12, 19, 32, 51, 67 की और से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत। प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 6 मा 11, 16 ता 18, 20 ता 27, 31, 34, 37, 44 ता 50, 57 ता 59 67, 71, 75 ता 105, 107 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो आज तक अस्तित्व में है इस प्रकरण में किसी भी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों को विवादित नहीं किया गया है। इस प्रकरण में भू धारक सरकार की ओर से तहसीलदार बीदासर ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई है प्रतिवादीगण की और से वाद में किसी प्रकार की मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, वादीगण की और से अपने वाद को साबित करने के लिए वादी जमील पी. डब्ल्यू-1 व वादी गफूर पी. डब्ल्यू-2 के रूप में स्वयं उपस्थित होकर अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके बयान दिंनाक 23.04.2025 को लेखबद्ध किये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादगत खेत के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074-2077 खाता नम्बर 348 रोही कालेराकीढ़ाणी प्रदर्श-01, जमाबन्दी संवत् 2074-2077 खाता नम्बर 244 प्रदर्श-02, जमाबन्दी संवत् 2074-2077 खाता नम्बर 109 रोही कालेराकीढ़ाणी प्रदर्श-03,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता नम्बर 107 प्रदर्श–04, जमाबन्दी संवत् 2075–2077 खाता नम्बर 60 रोही कालेराकीढ़ाणी प्रदर्श–05, जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता नम्बर 41 रोही घंटियालबड़ी प्रदर्श–06, जमाबन्दी संवत्2076–2079 खाता नम्बर 38 रोही बीदासर प्रदर्श–07 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। वादीगण ने ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

बहस अन्तिम सुनी जाकर वादीगण का वाद अन्तिम रूप से एवं रोही घंटियाल बड़ी के खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 5.6909 हैक्टेयर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ति का डिकी किया जाकर प्रारम्भिक डिकी जारी किया गया कि रोही घंटियाल बड़ी के वादगत खेत खसरा नम्बर 173 के राजस्व रेकार्ड में डिकी दिनांक 7.5.2025 के आदेशानुसार अंकित किया जाकर वादगत खेत का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायालय आदेश एवं प्रारम्भिक डिकी के आदेश दिनांक 7.5.2025 की पालना में तहसीलदार बीदासर द्वारा न्यायालय आदेशानुसार नामान्तरकरण सख्या 1638 दिनांक 8.7.2025 दर्ज कर विभाजन प्रस्ताव मय फर्द मौका नक्शा के दिनांक 2107.2025 को प्रस्तुत किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर सम्बन्धित हिस्सेदारान् वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण को सुना गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव फर्द नक्शा मौका पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने के कारण विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आदेश

अतः वादीगण का वाद रोही घंटियाल बड़ी के खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 5.6909 हैक्टेयर की हद का अन्तिम रूप से डिकी किया जाकर प्रतिवादी सख्या 106 तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया गया कि रोही घंटियालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 5.6909 हैक्टेयर का विभाजन प्रस्ताव फर्द मौका नक्शा अनुसार विभाजन करते हूए खातेदारी पृथक पृथक दर्ज कर अलग अलग लगान कायम किया जाये एवं नक्शा ट्रेश में तरमीम कर अलग अलग नक्शे कायम किये जाये। विभाजन प्रस्ताव प्रति अन्तिम डिकी के साथ रहे। अन्तिम डिकी की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21 / 8 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी** ....मुकाम........**बीदासर जिला चूरू** ....व इजलास..............पीठासीन अधिकारी........... **श्री अमीलाल यादव R.A.S.**

जमील आदि बनाम **शकूर मो. आदि**

दावा बाबत ....घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर **87 / 2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ......हाजरी **श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट** मिनजानिब मुदई व मोहम्मद आमीन शेख, अख्तर सोलंकी, पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ..... **वादीगण का वाद रोही घंटियाल बड़ी के खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 5.6909 हैक्टेयर की हद का अन्तिम रूप से डिकी किया जाकर प्रतिवादी सख्या 106 तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया गया कि रोही घंटियालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 5.6909 हैक्टेयर का विभाजन प्रस्ताव फर्द मौका नक्शा अनुसार विभाजन करते हूए खातेदारी पृथक पृथक दर्ज कर अलग अलग लगान कायम किया जाये एवं नक्शा ट्रेश में तरमीम कर अलग अलग नक्शे कायम किये जाये। विभाजन प्रस्ताव प्रति अन्तिम डिकी के साथ रहे। अन्तिम डिकी की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।**

फीस ....—........ मुबलिग......—..........बाबत ....—...........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....—..............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....—..........

.....................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..21......माह..8...2025

मुहर

दस्तख्त.......... उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर